न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 07 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 24

अर्जन सिंह पुत्र जीवराज सिंह जाति राजपूत निवासी लालावाली तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर राज0

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनूपगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 11.03.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रस्तुत निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने दिनांक 16.12.2023 को लोक सूचना अधिकारी प्रत्यर्थी को रजि. डाक से आवेदन प्रेषित किया था। आरटीआई आवेदन लोक सूचना अधिकारी को विधिवत रूप से प्राप्त होने के उपरान्त भी ना तो चाही गई सूचनाएं उपलब्ध करवाई न ही अपीलार्थी के साथ कार्यालय द्वारा कोई पत्राचार किया गया। चाही गई तमाम सूचनाएं लोक प्रकृति की हैं। आरटीआई एक्ट के विधिक प्रावधानों के तहत सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाने के कारण प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे व एक्ट के नियत प्रावधान मुताबिक प्रत्यर्थी पर जुर्माना अधिरोपित किया जावे। अपील स्वीकार कर चाही गई बिन्दू सं. 1 की सूचना दिलावाने के लिए निवेदन किया।
2. प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़ से अपील के संबंध में जवाब तलब किया गया। अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक / एसपीआईओ / आरटीआई / 2024 / 40 दिनांक 07.03.2024 के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, छत्तरगढ़ जिला बीकानेर से संबंधित होने के कारण आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर को हस्तान्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई हैं।
3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रतिवेदन के साथ आवेदन हस्तांतरित करते हुए आवेदक को सूचना प्रेषित करने संबंधित पत्र की प्रतिलिपि संलग्न प्रस्तुत की गई हैं। चूंकि प्रत्यर्थी के द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र अपने पत्रांक / आरटीआई / 2024 / 4 दिनांक 16.01.2024 के द्वारा जिला कलक्टर, बीकानेर को हस्तांतरित करते हुए आवेदक को पत्रांक 5 दिनांक 16.01.2024 द्वारा सूचित कर दिया गया हैं, इसलिए अपील प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं। अपील खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 11.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

जिला कलक्टर अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज॰)

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:49:19 IST
Reason: SelfAttested